

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाई खामी

देहरादून। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मसूरी के होटलों और एक आवासीय स्कूल का निरीक्षण किया। इन स्कूलों में सीवेज के निस्तारण को लेकर खामियां पाई गईं। संयुक्त टीम का नेतृत्व कर रहे पर्यावरण अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि बोर्ड अधिकारियों ने बालोंगंज में जेपी होटल, क्रिकेग-किताबघर रोड पर सनराइज होटल, बड़ा मोड स्थित इंडिया होटल, झड़ीपानी स्थित उत्तररेलवे के आवासीय विद्यालय ओकग्रोव का औचक निरीक्षण कर सीवेज सम्बंधी निस्तारण की खामियां पाईं। उन्होंने बताया कि बोर्ड को इस संबंध में शिकायतें मिली थीं। निरीक्षण के दौरान शिकायतें सही पाई गई हैं।

मसूरी के तीन होटलों व एक स्कूल को नोटिस

मसूरी (एसएनबी)। सीवेज का समुचित ढंग से निस्तारण न करने पर मसूरी के तीन होटलों व एक स्कूल को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किये हैं।

बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बुधवार को मसूरी स्थित होटलों एवं एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। बोर्ड अधिकारियों ने जेपी होटल, सनराइज होटल, इंडिया होटल तथा ओक ग्रोव स्कूल का निरीक्षण किया। इन संस्थानों के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायतें मिली थीं।

निरीक्षण के दौरान संस्थानों का घरेलू सीवेज का समुचित प्रकार से निस्तारित होना नहीं पाया गया। बोर्ड ने इन संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। संस्थानों द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर बोर्ड ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण टीम में पर्यावरण अधिकारी अमरजीत सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी देहरादून पीके जोशी, सहायक पर्यावरण अधिकारी अंकुर व सुंदर सिंह शामिल थे।

मसूरी के तीन होटल और एक स्कूल को नोटिस

देहरादून: पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित नामी होटल और स्कूल भी वहां के पर्यावरण को खराब करने में पीछे नहीं हैं। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की ओर से मसूरी में किए गए औचक निरीक्षण में यह बात सामने आई। बोर्ड अब वहां के तीन होटलों और एक स्कूल को नोटिस भेजने जा रहा है।

बोर्ड की टीम ने बुधवार को मसूरी स्थित होटलों और एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। पर्यावरण अधिकारी अमरजीत सिंह के अनुसार जेपी होटल, सनराइज होटल, इंडिया होटल के अलावा ओकग्रोव स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों को देखते वहां निरीक्षण किया गया। इस दौरान बात सामने आई कि इन प्रतिष्ठानों का घरेलू उत्स्रावह समुचित प्रकार से निस्तारित नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए इन संस्थानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित संस्थानों

Handwritten notes and stamps, including a large triangular stamp with text in Hindi and English, possibly related to the environmental department or the board mentioned in the article.